हम बच्चों के अधिकार

bachpan bachao andolan

An Initiative of Association for Voluntary Action (AVA)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर, 1959 को बच्चों के हक़ में एक घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें दुनिया भर के सभी बच्चों के अधिकारों के बारे में लिखा गया, जिसे हम बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन (यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड) कहते हैं| भारत सरकार ने इस कन्वेंशन पर 1992 में हस्ताक्षर किये और इसे भारत में लागू करने के लिए अपनी सहमति दी।

- मेरी उम्र 18 साल से कम है, इसीलिए मैं बच्चा कहलाता हूँ।
- मुझे अधिकार है कि मैं सभी अधिकारों का आनंद ले सकूँ।
  इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ? कहाँ रहता हूँ?
  मेरे पिता क्या करते हैं? मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ?
  मेरा धर्म या संस्कृति क्या है? मैं लड़की हूँ या लड़का? मेरा रंग या लिंग क्या है?
- जितने भी संगठन मेरे लिए काम करते हैं,
  उन्हें मेरी भलाई के लिए काम करना चाहिए।
- मुझे अधिकार है कि मुझे रहने के लिए अच्छा घर मिले,
  स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिले और मेरे स्वास्थ्य की उचित देखभाल हो।

- मुझे जीने और अपने विकास का अधिकार है।
- मुझे अधिकार है कि मुझे जन्म से नाम और राष्ट्रीयता मिले।
- मुझे अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है।
- अगर मेरे माता-पिता किसी अलग देश में रहते हैं, तो मुझे अधिकार है कि मैं उनके साथ रहूं।
- मेरा अधिकार है कि मेरा अपहरण न हो और मैं सुरक्षित रहूं।
- मुझे अपने बारे में लिए गए फैसले जानने का अधिकार है।
- मुझे सूचना पाने का अधिकार है।
- मेरी अधिकार है कि जो मैं चाहता हूँ, वैसा सोच सकूँ और मैं अपने धर्म का पालन कर सकूँ।
- मुझे अधिकार है कि मैं अपना मित्र चुन सकूँ।
- मुझे जानकारी पाने का अधिकार है, चाहे वह जानकारी मुझे टेलीविजन से मिले,
  रेडियो से मिले, अखबार से मिले या पुस्तकों या कंप्यूटर से मिले।
- मुझे अधिकार है कि मेरी निजी जिन्दगी सुरक्षित रहे और कानून इसमें मेरी मदद करे।
- मेरे माता-पिता मेरे बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं।
  सरकारों की यह जिम्मेदारी हैकि वे मेरे माता-पिता को उचित मार्गदर्शन दें,
  जिससे वे बच्चों की सही ढंग से देखभाल कर सकें।
- अपनी सुरक्षा मेरा अधिकार है। मेरे साथ शारीरिक या
  मानसिक किसी भी प्रकार का
  बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए।
- यदि मेरा परिवार मेरी देखभाल नहीं करता,
  तो सरकार को मुझे विशेषसुरक्षा प्रदान करनी चाहिए,
  जिससे मुझे देखभाल मिल सके।
- यदि मुझे गोद लिया गया है तो मुझे देखभाल और
  सुरक्षा पाने का भी अधिकार है।

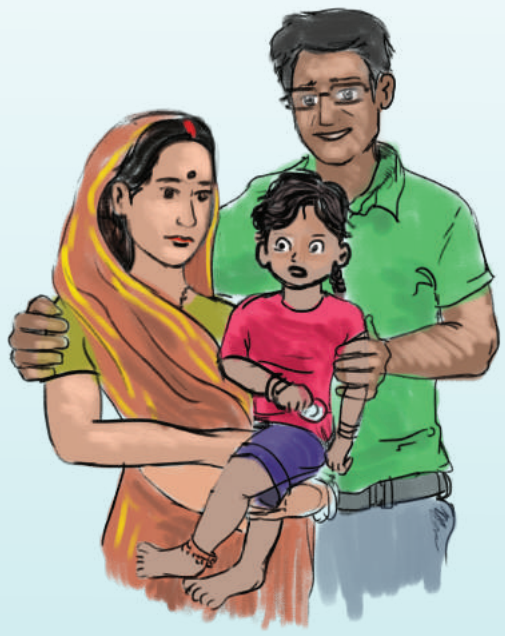

- यदि मैं देश में शरणार्थी बनकर आया हूँ,
  तो मुझे वही अधिकार मिलें,
  जो देश में जन्म लेने वाले बच्चे को मिलते हैं।
- यदि मैं विकलांग हूँ, तो विशेष देखभाल और सहायता पाना मेरा अधिकार है।
- मुझे अधिकार है कि मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।
  मुझे स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और साफ़-सुथरा वातावरण मिले।
- यदि मेरी देखभाल मेरे माता-पिता नहीं कर रहे और मुझे सरकार द्वारा किसी संस्था में
  भेजा गया है, तो वहां मुझे दी गई सुविधा और सुरक्षा की समय-समय पर जांच हो।
- यदि में गरीब या जरूरतमंद हूँ, तो मुझे या मेरे माता-पिता
  को सरकार से सहायता और लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

- मुझे ऐसा जीवन स्तर पाने का अधिकार है,
  जिससे मेरा पूरी तरह से विकास हो सके।
- मुझे शिक्षा पाने का अधिकार है।
- मुझे मेरे परिवार की भाषा और रीति-रिवाज सीखने
  और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार है।
- मेरा अधिकार है कि मुझे बेचा और खरीदा न जाए।
- मेरा अधिकार कि मेरा किसी भी तरह से शोषण न हो।
- सरकार को मुझे ऐसे कार्य करने से बचाना चाहिए, जो खतरनाक हैं और जो
  मेरे स्वास्थ्य या शिक्षा को नुकसान पहुँचाते हैं।
- मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण या उत्पीडन न हो।
- मुझे नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त, हानिकारक नशीले पदार्थों के
  सेवन से सुरक्षा का अधिकार है।
- मेरे साथ कोई अमानवीय, अपमानजनक या कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि मेरी उम्र 15 साल से कम है, तो मुझे फ़ौज में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए।
  अगर मैं युद्ध पीड़ित हूँ, तो सरकार को मुझे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- मुझे आराम करने, खेलने-कूदने का अधिकार है।
  मुझे हक़ है कि मैं अपनी उम्र और रुचि के अनुसार
  मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कला में
  भाग ले सकूँ।

- अगर मेरा शोषण होता है या मेरे साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है,
  मेरा यह अधिकार है कि सरकार मेरी मदद करे।
- अगर मैंने कानून तोड़ा है, तो मुझे कानूनी सहायता मिलनी चाहिए।
  मुझे बड़े लोगों के साथ कारागार में नहीं रखा जाना चाहिए।
- इस सम्मलेन (कन्वेंशन) में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यदि उसकी तुलना
  में मेरे देश का कानून मेरे अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है,
  तो उन कानूनों को लागू होना चाहिए।
- इस सम्मलेन (कन्वेंशन) की जानकारी सरकार को सभी माता-पिता और
  बच्चों को भी देनी चाहिए।

bachpan bachao andolan

जे-105, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

ई-मेल: info@bba.org.in | वैबसाइट: www.bba.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)